संचालनालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 8248.../मु.ग्रा.यो./2021-22 भोपाल दिनांक 14/09/2021

प्रति,

उपसंचालक,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
जिला- ..... (समस्त)

विषय :- बधियाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन बावत्।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रमांक 7529-30/मु.ग्रा.यो./2020-21 भोपाल दिनांक 10.11.2020 एवं पत्र क्रमांक 5109 दिनांक 10.06.2021

संदर्भित पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अर्न्तगत स्वीकृत विषयार्न्तगत बधियाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये थे। साथ ही प्रोजेक्ट का डी.पी.आर. संलग्न कर भेजा गया था।

विषयार्न्तगत कार्यक्रम, बधियाकरण अभियान के रूप मे दिनांक 04 अक्टूबर 2021 से 23 अक्टूबर 2021 तक संचालित किया जाना है। जिसमे पशुपालको के पास उपलब्ध निकृष्ट सांड़ो, गौशालाओं मे उपलब्ध निकृष्ट सांड़ो एवं निराश्रित पशुओं मे उपलब्ध निकृष्ट सांड़ो का शत् प्रतिशत बधियाकरण किया जाना है। बधियाकरण शासकीय एवं अशासकीय कार्यकर्ताओं (गौ-सेवक / मैत्री / कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता / दुग्ध समितियों के सचिव एवं एन.जी.ओ. के पशु स्वास्थ रक्षक आदि) द्वारा संपादित किया जाएगा।

बधियाकरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया कार्य योजना अनुसार बधियाकरण अभियान संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(डॉ. आर.के. मेहिया)
संचालक
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक ...../मु.ग्रा.यो./2021-22 भोपाल दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सयुक्त संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग संभाग.....समस्त की ओर सूचनार्थ।

संचालक
पशुपालन एवं डेयरी
विभाग मध्यप्रदेश

बधियाकरण अभियान की कार्य योजना

1. प्रदेश मे बधियाकरण कार्यक्रम, का आयोजना दिनांक 04 अक्टूबर 2021 से 23 अक्टूबर 2021 तक बधियाकरण अभियान के रूप मे किया जाएगा।

2. बधियाकरण अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 15.09.2021 से 30.09.2021 के बीच समस्त जिलों के उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रत्येक ग्राम का सर्वे कराकर ग्राम मे उपलब्ध निकृष्ट सांडो की जानकारी प्राप्त कर रजिस्टर मे पशु पालक का नाम / पता / मोबाइल नम्बर / बधियाकरण हेतु उपलब्ध निकृष्ट सांडो की संख्या / युआईडी टैग न. आदि की विस्तृत जानकारी प्रारूप ''अ'' मे संस्था स्तर पर संधारित करेगे। इसी प्रकार जिले की गौशालाओं मे भी सर्वे कराकर उपलब्ध निकृष्ट सांडो की जानकारी रजिस्टर मे संधारित करेगें। सर्वे के दौरान निकृष्ट सांड में युआईडी टैग न पाये जोन पर उसी समय टैगिंग कर इनाफ पोर्टल में पंजीकृत कर युआईडी टैग की इन्ट्री पंजी में की जावे। सर्वे उपरांत कार्ययोजना अनुसार बधियाकरण की कार्यवाही कर पंजी में दिनांक अंकित की जावे।

3. जिले के उपसंचालक विकासखण्डवार / ग्रामवार दिनांक सहित जिले की कार्ययोजना बनाकर ग्रामों / गौशालाओं मे टीम भेजकर निकृष्ट सांडो का बधियाकरण कार्यक्रम संचालित करेगें। रिक्त संस्थाओं / निकृष्ट सांडो की संख्या अधिक होने पर टीम निर्मित कर कार्य योजना में सम्मिलित किया जावे जिससे बधियाकरण कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जा सके।

4. बधियाकरण अभियान की अवधि के दौरान संपादित बधियाकरण निःशुल्क किया जाएगा।

5. बधियाकरण अभियान का प्रथम चरण गौशालाओं मे निकृष्ट सांड़ो के बधियाकरण से प्रारंभ किया जाएगा जो दिनांक 04.10.2021 से 07.10.2021 तक संचालित किया जाएगा।

6. बधियाकरण अभियान के द्वितीय चरण मे सभी विकासखण्डो के समस्त ग्रामो मे बधियाकरण कार्यक्रम दिनांक 08.10.2021 से 23.10.2021 तक संचालित किया जाएगा।

7. संस्था प्रभारी (VAS/BVO/AVFO) प्रत्येक संस्था अर्न्तगत आने वाले समस्त ग्रामो / गौशालाओं मे निकृष्ट सांड़ो का शत् प्रतिशत बधियाकरण सुनिश्चित करेगें। ग्रामवार बधियाकरण की दिनांक निर्धारित कर ग्रामो मे प्रचार प्रसार करायेंगे, साथ ही बधियाकरण के एक दिवस पूर्व ग्रामो मे मुनादी करवायेंगे ताकि पशुपालक, सांड़ो को उक्त दिनांक को बांध कर रखें। जिले में आयोजित होने वाली समस्त बैठको (जिला पंचायत / पंचायत / ग्राम सभा) में बधियाकरण अभियान की जानकारी दी जावे एवं बधियाकरण कार्य के सुचारू कियान्वयन हेतु मान. जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लेवे।

8. बधियाकरण कार्य मे मैत्री / गौसेवकों / निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता / पशु स्वास्थ्य रक्षक / सहकारी दुग्ध समितियों के सचिव का भी सहयोग लिया जावे। इन कार्यकर्ताओं को बधियाकरण कार्य के सत्यापन तथा इनाफ पोर्टल पर इन्ट्री के उपरांत प्रति बधियाकरण कार्य के लिये राशि रूपये 75/- तथा औषधी हेतु राशि रूपये 25/- कुल राशि रूपये 100.00 दी जावेगी।

9. सर्वे के उपरांत निकृष्ट सांड की जानकारी संज्ञान में आने पर टेगिंग नही होने की दशा में यू.आई.डी. टैग से टेगिंग उपरांत इनाफ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जावे। निराश्रित गौवंश की युआईडी टैगिंग तथा बधियाकरण हेतु स्थानीय प्रशासन (शहरी/ग्रामीण) का सहयोग लिया जावे।

10. बधियाकरण की जानकारी इनॉफ पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस हेतु शीघ्र ही ऑन लाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

11. बधियाकरण अभियान के दौरान किये जा रहे बधियाकरण की जानकारी संस्था स्तर पर प्रारूप ''अ'' अनुसार संधारित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जावे कि किये गये बधियाकरण कार्य के ऑफलाइन डाआ में अंतर न रहे।

12. जिले के उपसंचालक उक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए विकासखण्डवार / ग्रामवार दिनांक सहित जिले की कार्ययोजना बनाकर, जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत एक सप्ताह के अन्दर संचालनालय को प्रेषित करेगें।

13. बधियाकरण की मॉनिटरिंग के समय संचालनालय के अधिकारियों को आवंटित प्रभारी जिलों मं कम से कम 5 दिवस रहकर निगरानी करेगें तथा अपनी टीप प्रस्तुत करेगें।